न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 05/2019 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती मन्जु पत्नी स्वर्गीय अम्बालाल जी पालीवाल, निवासी मण्डावत, तहसील व जिला राजसमन्द हाल निवासी मकान नंबर 5, अरविन्द नगर, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती देवकी बाई पत्नी रामचन्द्र जी पुत्री शंकरलाल जी पालीवाल, नि0 175, संगम कॉलोनी, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. शंकरलाल पिता मोतीलाल जी पालीवाल, निवासी मण्डावत, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती गंगा बाई पत्नी द्वारका प्रसाद जी पुत्री शंकरलाल जी पालीवाल, निवासी सुन्दर टाकीज के पीछे वाली सुखपाल छत्री वाली गली, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त० अधि०– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दि.
15–12–2014 संशोधित डिक्री दिनांक
18–05–2018 प्रकरण संख्या 137/12

———/———

उपस्थित :– 1– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 1, 3

———::———

निर्णय **दिनांक 17–05–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता शंकरलाल जी के नाम राजस्व ग्राम मण्डावर, पटवार हल्का तासोल में वाद पत्र की संख्या 1 अंकित आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

78, 79, 89, 90, 106, 110, 114, 125, 477, 490, 494, 609, 626, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841 स्थित होकर पक्षकारान का हिस्सा उसमें दर्ज हिस्से अनुसार है। उक्त भूमियां शंकरलाल को अपने पिता मोतीलाल से प्राप्त होने से पैत्रृक भूमियां होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पुत्रियों का जन्म से अधिकार निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 काफी वृद्ध होने से काफी समय से उक्त भूमियों में स्वयं कृषि कार्य नहीं कर पा रही हैं, जबकि कब्जा व आधिपत्य वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का ही है। करीब 2 माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि उसने भूमियां प्रतिवादी संख्या 2 से खरीद ली है तथा धमकी दी। शंकरलाल के नाम दर्ज उक्त आराजियात में शंकरलाल जी 1/3 हिस्से के ही अधिकारी हैं, शेष 2/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में शंकरलाल द्वारा किया गया विक्रय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मुकाबले प्रारम्भ से अवैध एवं शून्य है। अतः शंकरलाल के नाम दर्ज हिस्सा, जो अब प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, उसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। अतः विवादित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक को 1/3, 1/3 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–12–2014 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की तथा दिनांक 18–05–2018 को संशोधित डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07–01–2019 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16–12–2018 को अपीलान्ट अपने खेतों पर काम कर रही थी, तब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने कहा कि भूमि [illegible] ने [illegible] करवा ली है अब हम खेती

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

करेंगे, तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया ने अपीलान्ट का गलत पता अंकित किया, जिससे उसे सम्मन नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ। जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत तामिल करानी चाहिए थी, उसके पश्चात् निशादेही एवं चस्पादगी से तामिल करवायी जानी चाहिए थी तथा रजिस्टर्ड सूचना पत्र के जरिये भी तामिल भिजवायी, वह गलत पते पर भिजवायी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है। कानूनन पिता या कर्ता खानदान द्वारा किया गया विक्रय शून्य नहीं होकर शून्यकरणीय होता है, जिसे सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना कानूनन वाद चलने योग्य नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 1971 Supreme Court Page 776, RRD 1988 Page 610, RRD 1984 Page 482, AIR 1945 Privy Council Page 54, AIR 1953 Madras Page 611, AIR 2003 Kerala Page 39, AIR 1987 S.C. Page 558, AIR 1986 S.C. Page 1753, RLW 2024 (1) Page 637, 2018 Supreme (SC) Page 372 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 शंकरलाल की पुत्रियां होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हें विवादित आराजियात में 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात वादिया के दादा मोतीलाल के समय की होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की पैत्रृक भूमि होना स्पष्ट प्रकट होता है, जिससे विवादित आराजियात में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 मोतीलाल के पुत्र शंकरलाल के समान ही मोतीलाल की पौत्रियां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 का समान हक व अधिकार है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 शंकरलाल द्वारा सम्पूर्ण आराजियात का विक्रय अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की पैत्रृक होना मानकर उसका वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत है। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे सम्मन तामिल नहीं हुए हैं, जबकि अखबार में भी उसके सम्मन साया कराया जाना पत्रावली पर उपलब्ध प्रातःकाल के अखबार से स्पष्ट है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है एवं इसके पश्चात् दिनांक 18–05–2018 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी संशोधित डिक्री, जिसमें दिनांक 15–12–2014 के निर्णय व डिक्री में राजस्व ग्राम मण्डावर के स्थान पर राजस्व ग्राम तासोल अंकित हो जाने एवं वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने को लिपिकीय त्रुटि मानते हुए ग्राम तासोल के स्थान पर ग्राम मण्डावर एवं पैरा संख्या 1 में अंकित हिस्से अनुसार संशोधित डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 15–12–2014 व संशोधित डिक्री दिनांक 18–05–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

श्रीमती मन्जु पत्नी स्व. अम्बालाल पालीवाल निवासी मण्डावर हाल निवासी मकान नं0 5, अरविन्द नगर, सुन्दरवास, उदयपुर

बनाम

श्रीमती देवकीबाई पत्नी रामचन्द्र पुत्री शंकरलाल पालीवाल, नि0 178, संगम कॉलोनी, कांकरोली, तहसील राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰......**05/2019**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... .....**राजसमन्द**........... मुकाम................मुवर्खे.............**15**..............माह..............**12**............**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**17**....माह........**05**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री श्यामसुन्दर पालीवाल**..मिनजानिब अपीलान्ट व..**श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 15–12–2014 व संशोधित डिक्री दिनांक 18–05–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**17**.......माह.......**05**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested